

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

29 <sup>04</sup>/<sub>2024</sub>

आज 29/04/24 को 29/04/24 पर  
साह 29/04/24 को 29/04/24 पर  
पेशी इत्यादि को 29/04/24 पर  
नारीख 29/04/24 को पेश हो

26 <sup>04</sup>/<sub>2024</sub>

पत्रावली पेटा हुई। वकील जर्जी उपस्थित। 200 को  
के न्यायालय जमान में रुक-रुक कर भाषाओं  
लगावट गई। परन्तु इनकी प्रोसेर के मोदी जी  
उपार-लेन नहीं भर्षे लिहल इनके रिजल्ट लया  
कार्यवाही की जाती है। जहाँ भाषावली  
लख सुनी गई। पत्रावली करते अफेर, रिमों  
गोनीय के पेश की



31 <sup>04</sup>/<sub>2024</sub>

आज 31/04/24 को 31/04/24 पर  
साह 31/04/24 को 31/04/24 पर  
पेशी इत्यादि को 31/04/24 पर  
नारीख 31/04/24 को पेश हो

05 <sup>08</sup>/<sub>2024</sub>

आज 05/08/24 को 05/08/24 पर  
साह 05/08/24 को 05/08/24 पर  
पेशी इत्यादि को 05/08/24 पर  
नारीख 05/08/24 को पेश हो


14 <sup>10</sup>/<sub>2024</sub>

आज 14/10/24 को 14/10/24 पर  
साह 14/10/24 को 14/10/24 पर  
पेशी इत्यादि को 14/10/24 पर  
नारीख 14/10/24 को पेश हो

21/11/2024

पत्रावली पेश हुई। वकील जर्जी उपस्थित। वकील जर्जी की  
पुनः बट्स सुनी गयी। वकील जर्जी बट्स एवं पत्रावली  
में उपलब्ध अस्तावेजों के आधार पर अध्यायी निषेधा  
के तीनों बिन्दु उपयुक्त हुट्टया मामला, सुविधा का संतुलन  
एवं अपूरणीय झानि जर्जी के पत्र में सिद्ध नहीं होते हैं।  
अतः जर्जी का जर्षना-पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने  
के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल  
कुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर वाट तस्मील  
दाखिल रहत है।

निर्णय आज दिनांक 21/11/2024 को मेरे द्वारा  
लिखाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

  
सहायक कलेक्टर  
बाप (फलोदी)